United Bank of India, Lead Bank Division & Convener of SLBC,West Bengal
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया अग्रणी बैंक विभाग संयोजक: पश्चिम बंगाल राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

E-mail: slbc.westbengal@unitedbank.co.in
Telephone: 033-2262-7365, 033-2231-1716

11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata- 700 001

Ref: SLBC-WB/Minutes/1085 /2019

Dated, the 20th June, 2019

विषय : 12.06.2019 को संपन्न एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल की 145वीं बैठक के कार्यवृत्त

मार्च, 2019 तिमाही की निष्पादन समीक्षा बैठक 02-06-2019 को दोपहर 12.00 बजे होटल ताज बंगाल, कोलकाता में डॉ. अमित मित्रा, माननीय वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार और श्री अशोक कुमार प्रधान, एमडी एवं सीईओ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अन्य उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों में श्री एच.के. द्विवेदी, अपर मुख्य सचिव, वित्त, पश्चिम बंगाल सरकार , श्री ए.के. दास, कार्यपालक निदेशक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, श्री एम.वी. राव, अपर मुख्य सचिव, सहयोग(को-ऑपरेशन) और पी एंड आरडी, पश्चिम बंगाल सरकार, सुश्री अनिंदिता सिन्हा रे, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री जे.पी. तिर्की, महाप्रबंधक, भा.रि.बैंक शामिल थे।

गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने के बाद, वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों के अधिकारियों और एसएलबीसी के संयोजक ने कार्यसूची के बारे में सदन को जानकारी दी और श्री प्रधान, अध्यक्ष, एसएलबीसी से अनुरोध किया कि वे वित्त वर्ष 2019-20 में बैंकों के मार्गदर्शन के लिए अपना प्रमुख वक्तव्य रखें। उनकी टिप्पणियों का सार इस प्रकार है :

1. बैंकों ने एसीपी 2018-19 के तहत 93% की उपलब्धि स्तर और 27% की वर्ष दर वर्ष विकास के साथ रु.136205 करोड़ का संवितरण किया है। (पृष्ठ 3 की सारणी अनुसार)

जबकि बैंकों ने 112% उपलब्धि के साथ लक्ष्य को पार करके एमएसएमई में संतोषजनक निष्पादन किया, कृषि में 71% उपलब्धि स्तर पर निष्पादन सदन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

बैंकों ने एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में भी लक्ष्य का 91% प्राप्त कर अच्छा प्रदर्शन किया और इसके साथ-साथ औसत टिकट वर्ग में रु .2.17 लाख की वृद्धि हुई। लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का

कारण स्वीकृत ऋणों के मुकाबले बड़ी मात्रा में ऋणों का संवितरण नहीं किया जाना है। बैंकों को 30 जून, 2019 तक लंबित संवितरण को पूरा कर लेना चाहिए।

एसएलबीसी के अध्यक्ष ने प्रस्तावित वार्षिक ऋण योजना 2019-20 से संबंधित सदन को जानकारी दी, जो कि 27% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाता है। यह देखा गया कि कृषि में रु. 69425 करोड़ का लक्ष्य 52% की वृद्धि दर के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो कि उच्च स्तर पर है जबकि एमएसएमई के लिए यह 6.15% की वृद्धि दर के साथ रु. 59931 करोड़ मामूली रूप से प्रस्तावित किया गया है। यद्यपि नाबार्ड के पीएलपी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सदन् इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण से एसीपी 2019-20 को अंतिम रूप दे सकता है।

एमएसएमई विभाग के समर्थन से एसएलबीसी ने एमएसएमई में त्वरित वृद्धि के लिए 15 एमएसएमई क्लस्टर्स को अपनाया है, जबकि इसने इसी प्रकार की गतिविधियों को इसी तरह बढ़ावा देने के लिए खाका तैयार करने हेतु हाल ही में डेयरी और मत्स्य संबंधी एक विशेष समिति का गठन किया है।

यद्यपि मार्च, 2018 में एनपीए स्तर 15.44% की तुलना में मार्च, 2019 में 12.63% की कमी आई है, सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे एनपीए की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर कोल्ड स्टोरेज और चावल मिलों के संबंध में उचित हस्तक्षेप करते हुए स्थिति का आकलन करें। पीडीआर मामलों के तेजी से निपटान और सरफेसी (SARFAESI) मामलों में डी.एम. को समय पर अनुक्रिया भेजने हेतु सरकार के संबंधित विभागों द्वारा उचित उपाय किए जाने चाहिए।

(कार्य बिंदु 1: पश्चिम बंगाल सरकार का संबंधित विभाग)

श्री प्रधान ने अधिक बैंकिंग आउटलेट खोलकर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए बैंकों द्वारा की गई प्रगति के संबंध में सदन को सूचित किया। यह सलाह दी गई कि एसएलबीसी द्वारा आवंटित शेष बैंक रहित केंद्रों में अक्टूबर 2018 और नवंबर 2017 में क्रमशः 172 और 204 यूआरसी के एवज में बैंकिंग केंद्रों को खोलने का काम सितंबर '19 तक पूरा हो जाना चाहिए।

(कार्य बिंदु 2: आवंटिती बैंकों को यह कार्य सितंबर '19 तक पूरा करना है)

दिनांक 12-03-2019 की 144 वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि और एसएलबीसी संयोजक द्वारा किए गए संकल्प संबंधी प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के बाद ही सदन ने

माननीय वित्त मंत्री, डॉ. अमित मित्रा के बहुमूल्य मार्गदर्शन के साथ कार्यसूची के मदों पर समीक्षा और चर्चा की। डॉ अमित मित्रा के साथ के कार्य बिंदुओं पर की गई चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं :

क) ऋण-निक्षेप अनुपात :

बैंकों के निष्पादन की सराहना करते हुए डॉ. मित्रा ने ऋण-निक्षेप अनुपात पर अपनी चिंता जाहिर की जो विगत दो वर्षों से 64-65% के समान स्तर पर बना हुआ है। उन्होंने दर्शाया कि राज्य में बैंक संबंधित संभावनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं, जिसके कारण मार्च, 2019 तक के 77% के राष्ट्रीय स्तर से यह पिछड़ रहा है। उन्होंने बैंकों से एफडीआई के माध्यम से और साथ ही स्थानीय औद्योगिक घरानों से बड़े टिकट निवेश हेतु खाते खोलकर राज्य में सृजित अवसरों को भुनाने का आग्रह किया । उन्होंने एसएलबीसी को ऋण-निक्षेप अनुपात में सुधार के लिए योजना तैयार करने और इस संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की सलाह दी। हुगली और उत्तर 24 परगना जिले के 40% से कम ऋण-निक्षेप अनुपात वाले जिलों को ऋण संवितरण में सुधार के लिए जिलों के बैंकरों को संवेदनशील करना होगा।

(कार्य बिंदु 3: एसएलबीसी, सदस्य बैंकों एवं हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों के एलडीएम)

ख) कृषकबंधु :

विशेष रूप से एसबीआई और डब्ल्यूबीएससीबीएल द्वारा केसीसी ऋणों में भूमि संबंधी आँकड़े प्रस्तुत करने में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री प्रधान ने सभी बैंकों को सलाह दी कि वे तुरंत प्रक्रिया पूरी करें, जो सरकार के अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 लाख छूट गए किसानों का पता लगाने में मदद करेगी और इससे राज्य में किसानों और भूमिहीन मजदूरों को सहायता प्रदान करने में सुविधा होगी। इससे केसीसी संपृक्तीकरण अभियान को और मजबूती मिलेगी। डॉ. मित्रा ने डब्ल्यूबीएससीबीएल को इस प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी।

(कार्य बिंदु 4: भा.स्टे.बैंक, डब्ल्यूबीएससीबीएल और अन्य सदस्य बैंक)

ग) कृषि :

यह सलाह दी जाती है कि बैंकों को विशेष रूप से निवेश और उत्पादन क्रेडिट में कृषि के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाना चाहिए। उप समिति / विशेष समिति की बैठकों में खाका तैयार करने के माध्यम से, नाबार्ड को मामले को आगे बढ़ाने और एसएलबीसी की सहायता / मार्गदर्शन हेतु नेतृत्व करना चाहिए। केसीसी संपृक्तीकरण को फलतः राज्य की संपूर्ण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक क्रांति लाने में संचालक शक्ति की भूमिका निभानी चाहिए।

Lead Bank Division UNITED BANK OF INDIA H.O.

(कार्यबिंदु 5 : नाबार्ड, एसएलबीसी और सदस्य बैंक)

घ) एमएसएमई:

डॉ. मित्रा ने एमएसएमई में बैंकों के निष्पादन की सराहना की और कहा कि चालू वित्त वर्ष में भी इसे अवश्य जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में पूंजी और श्रम आधारित उद्यमों का पक्ष लेते हुए बैंटला लेदर कॉम्प्लेक्स का उदाहरण दिया, जिसमें 2.15 लाख श्रमिक काम करते हैं, इसके अलावा पानागढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क में किए जा रहे पहल और महिंद्रा, इमामी, डालमिया भारत, जेएसडब्ल्यू आदि जैसे समूहों द्वारा किए गए निवेश की तारीफ की डॉ. मित्रा ने बैंकरों को एमएसएमई इकाइयों के लिए लगातार ऋण देने का आह्वान किया, जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में एमएसएमई क्षेत्र के तहत 20% की संतुलित और प्राप्य विकास लक्ष्य की प्रशंसा की।

(कार्य बिंदु 6: सदस्य बैंक)

ड.) 2019-20 के लिए वार्षिक ऋण योजना:

संयोजक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित एसीपी, 2019-20 को नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए संभावित लिंक्ड योजना के आधार पर अपनाया गया था। नाबार्ड के सीजीएम श्री एस मंडल ने भी कृषि के लिए जीओआई जमीनी स्तर के ऋण लक्ष्य की भी जानकारी दी थी। विचार-विमर्श के दौरान, यह सूचित किया गया कि एसीपी परिकल्पना 2018-19 के ऋण वितरण में कुल वृद्धि की उपलब्धि स्थिति 27.06 % रही जबकि एमएसएमई और कृषि के लिए लक्ष्यित वृद्धि क्रमशः 6.15% (बहुत कम) और 52.59% (बहुत अधिक) रही । यदि भारत सरकार के बुनियादी स्तर ऋण लक्ष्य को एसीपी के रूप में माना जाता है तो, कृषि के अंतर्गत लक्षित वृद्धि पिछले वर्ष की उपलब्धि की तुलना में 64% पर पहुँच गया है ।

पीएलपी के अनुरूप दो प्रमुख क्षेत्रों में लक्ष्य के आवंटन में असमानता पर बैठक में गहन चर्चा की गई और यह महसूस किया गया कि निरपेक्ष संख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद पिछले कुछ वर्षों से कृषि लक्ष्यों की वर्ष दर वर्ष गैर-उपलब्धि यह बताता है कि कृषि के तहत एसीपी तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है जो एसीपी 2019-20 के तहत पीएलपी 2019-20 के अनुरूप प्रस्तावित है वह हाल के वर्षों में उपलब्धियों के रुझान के अनुरूप नहीं है। 2017-18 में 50% की वृद्धि दर के साथ पिछले दो वर्षों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के बावजूद और 2018-19 में 28% की दर से प्रस्तावित लक्ष्य रू. 59,931 करोड़ 6.15% की दर से वृद्धि अपर्याप्त प्रतीत होती है और इसलिए बैठक में पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के तहत सीमांत विकास की लागत और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य में कमी से भी हो सकता है।

तदनुसार, 2019-20 के लिए एसीपी को निम्न तालिका के अनुसार क्षेत्रीय विभाजन के साथ 21.87% की वृद्धि दर पर रुपये 1,66000 करोड़ संशोधित किया जाता है।

विवरण	कृषि	एमएसएमई	अन्य प्रा.प्रा.क्षेत्र	कुल प्राथमिकता प्रा.क्षेत्र	गैर प्राथमिकता प्रा.क्षे.	कुल अग्रिम
2018-19 के लिए एसीपी	64071	50000	15889	129960	16500	146460
31-03-19 तक उपलब्धि	45586	56458	16919	118963	17243	136205
उपलब्धि का %	71.15	112.91	106.48	91.58	104.50	93.00
2019-20 के लिए पीएलपी(नाबार्ड)	69448	59663	28387	157498	N.A.	157498
पीएलपी + गैर-प्रा.प्राप्त क्षेत्र के साथ एसएलबीसी द्वारा प्रस्तावित एसीपी	69425	59931	28057#	157413	15662	173075 **(27%)**
19-20 के लिए जीओआई जमीनी स्तर का ऋण	74960	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
जीओआईजीएलसी (कृषि के लिए)+पीएलपी के साथ एसएलबीसी द्वारा प्रस्तावित एसीपी	74960	59931	28057	162948	15662	178610
प्रस्तावित एसीपी '20 बनाम उपलब्धि' 19 की % वृद्धि दर।	64.43	6.15	65.83	36.97	-9.16	31.13
एसएलबीसी द्वारा अपनाया गया एसीपी 19-20	**55000**	**70000**	**23000#**	**148000**	**18000**	**166000**
अपनाया गया एसीपी '20 बनाम उपलब्धि' 19 की % वृद्धि दर।	**20.65**	**23.98**	**35.94**	**24.40**	**4.39**	**21.87**

अनौपचारिक ऋण वितरण प्रणाली के तहत नाबार्ड के पीएलपी 2019-20 में 13,283 करोड़ के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है जिसमें और जेएलजी वित्तपोषण शामिल है। चूंकि उक्त दो उप क्षेत्र कृषि के तहत आते हैं, जहाँ तय किए गए लक्ष्य में एसएचजी और जेएलजी शामिल हैं, अन्य-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र(निर्यात, आवास, शिक्षा, सामाजिक बुनियादी ढांचा, अक्षय ऊर्जा और अन्य शामिल हैं) के तहत एसीपी रु 23,000 करोड़ संशोधित किया गया है।

- **एसएलबीसी द्वारा 2019-20 के लिए एसीपी उपर्युक्त के अनुसार अपनाया गया है।**
- बैंक वार वार्षिक ऋण योजनाएँ तदनुसार बनाई जानी हैं।
- जिलेवार ऋण योजनाओं को राज्य की ऋण योजना के साथ ठीक से जोड़ा जाना चाहिए।

(कार्य बिंदु 7: नाबार्ड, एसएलबीसी और एलडीएम)

च) अन्य:

सुश्री अनिंदिता सिन्हा रॉय, निदेशक, वित्त विभाग ने डीएवाई-एनयूएलएम में हुई धीमी प्रगति को इंगित किया, जबकि डीएवाई-एनआरएलएम में निष्पादन बहुत सराहनीय था। श्री एच आर

प्र.का. H.O. Lead Bank Division UNITED BANK OF INDIA

द्विवेदी, एसीएस, वित्त ने नगर निगम क्षेत्रों में डीएवाई-एनआरएलएम के लिए विशेष अभियान चलाने की सलाह दी।

(कार्य बिंदु 8: एसयूडीए और सदस्य बैंक)

- श्री एमवी राव, एसीएस, सहकारिता और पी एंड आरडी ने एसएचजी क्रेडिट लिंकेज की उपलब्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि बैंकों को कैश क्रेडिट मोड के माध्यम से कार्यशील पूंजी वित्त पर अधिक जोर देना चाहिए और यह भी कहा कि एसएचजी / फेडरेशन के सदस्य जिन्होंने आईआईबीएफ प्रमाणन उत्तीर्ण किया है उनको बैंक मित्र के रूप में कार्य करने हेतु तरजीह दिया जाना चाहिए। संयोजक, एसएलबीसी ने मूल्यांकन किया कि एसएलबीसी ने पहले ही मामला उठाया है और बैंकों को सभी नई आवश्यकताओं / रिक्तियों के एवज में प्रमाणित एसएचजी को बीसी के रूप में कार्य करवाने करने की सलाह दी गई ।
- श्री एच आर द्विवेदी को जिला लक्ष्य और बैंकों / हितधारकों के साथ साझेदारी को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सलाह दी ।
- श्री एस मंडल, सीजीएम, नाबार्ड ने एलडीएम को बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज के लिए जेएलजी क्षेत्र, कृषि विपणन पहल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ केसीसी योजना के तहत कार्यशील पूँजी ऋण डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए वित्त मान को अंतिम रूप देने की सलाह दी। उन्होंने डीइडीएस और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी बताया।

(कार्य बिंदु 9: एलडीएम और सदस्य बैंक)

- इस पर भी जोर दिया गया कि कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के प्रवाह को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। साथ ही, पीएमईजीपी / एसवीएसकेपी / स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के तहत प्रायोजित प्रस्तावों के निपटान में सुधार की आवश्यकता है और बकाया राशि को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए।

(कार्य बिंदु 10: सदस्य बैंक)

- **एपीवाई:** बैठक के दौरान, युबीआई, एसबीआई, पीएनबी, पीबीजीएम, युबीकेजीबी और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जैसे छह बैंकों को 2018 में पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए "गौरव के लिए निष्पादन" अभियान में उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय और प्रतिभागियों के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

महाप्रबंधक,प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र-कृषि एवं
एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल के संयोजक
General Manager, Prisec - Agri&
Convener of SLBC, West Bengal

प्र.का.
H.O.
Lead Bank Division
UNITED BANK OF INDIA